क्रम-संख्या—26

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 जनवरी, 2018

माघ 4, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 190 / 79-वि-1—18-1(क)-15-2017

लखनऊ, 24 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 4 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 27 सन 1961 की धारा 3 का संशोधन

2—मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(4) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात् एक दिन के भीतर ऐसी रीति से जो राज्य सरकार निर्धारित करे, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा या मंजूर करने से इंकार करेगा और उक्त अवधि की समाप्ति पर रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया माना जाएगा।

आवेदक अपना आवेदन पत्र विभागीय वेबपोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों व फीस संदाय के साथ प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो वेबपोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र ई—मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा:

प्रतिबंध यह है कि यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण अकृत और शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।"

धारा 34-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

अपराधों का शमन

"34—क (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय ऐसे किसी अपराध का शमन, जो केवल जुर्माना से या तीन मास तक कारावास से या दोनों से राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे अपराध के लिए विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप 50 प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात्, किया जायेगा:

परन्तु शमन हेतु उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, किसी अपराध का शमन करने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।

(3) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके सम्बन्ध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित है और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।"

उद्देश्य एवं कारण

मोटर परिवहन उपक्रमों में नियोजित कर्मचारियों के नियोजन की कार्य की शर्तों के विभिन्न पहलुओं यथा -कार्य एवं मजदूरी, चिकित्सा सुविधाओं, कल्याणकारी सुविधाओं, कार्य के घण्टों, अतिकाल और अवकाश आदि को विनियमित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में मोटर परिवहन उपक्रम के रजिस्ट्रीकरण की भी व्यवस्था है।

पिछले अनेक वर्षों से उपक्रमों के रजिस्ट्रीकरण की निश्चित समय सीमा निर्धारित करने की मांग बढ़ती जा रही है जिससे कि रजिस्ट्रीकरण को सुविधाजनक बनाया जा सके और सरकारी तंत्र का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके और न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचने के लिये तथा लंबित अनेक वादों में कमी करने के उद्देश्य से लघु अपराधों का शमन पुरःस्थापित किया जा सके। अतः नियोक्ता संघों एवं व्यापार संघों से सम्यक विचार-विमर्श करने के पश्चात यह विनिश्चय किया गया है कि मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन किया जाय जिससे कि आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से एक दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण किये जाने और उक्त अधिनियम के अधीन अपराध हेतु विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप जुर्माने के पचास प्रतिशत के संदाय पर प्रथम अपराध का शमन किये जाने की व्यवस्था की जा सके।

तदनुसार मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।